# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : देवयानी, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 177/2021
GCMS NO. : 2021/329

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. बादरराम पुत्र सुखाराम
जाति- रावणा राजपुत, निवासी- डिगरना, तहसील- जैतारण
जिला- पाली राज0।

1. समुड़ी पत्नी तिलोकराम फौत के कायम मुकाम
1.1 तिलोकराम पुत्र पन्नाराम
1.2 प्रकाश पुत्र तिलोकराम
1.3 हुकमाराम पुत्र तिलोकराम
1.4 कालूराम पुत्र तिलोकराम
1.5 सुशीला पुत्री तिलोकराम
जातियान बावरी निवासीगण डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली।

**राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955**

**तारीख रजू:- 14.10.2021**

उपस्थित:- 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री महेन्द्र कुमार गुंरा, श्री राजेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

**-:: निर्णय ::-** **दिनॉक:-07/11/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में स्थित खसरा संख्या 480/2 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई है। जिसका सायल रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। वर्तमान जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। तथा इस भूमि को प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी से जाना जायेगा। वादग्रस्त आराजी सायल की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जो सायल की सेपरेट एवं तरमीमशुदा है। जिसमें सायल एक मात्र अकेला भूमिधारी एवं भौक्ता है। तथा माफिक एक मात्र मालिक एवं स्वामी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर बेरोकटोक काश्त करता चला आ रहा है। सायल के हक हिस्से की इस वादग्रस्त भूमि में गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं हक अधिकार नही है। गैरसायलान की भूमि मौके पर अलग से आई हुई है। उसके बावजूद भी गैरसायलान बिना किसी हक अधिकार के ही लाठी लकड़ी के बल पर सायल से विवाद करते हुये उसके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है। इस वर्ष जुलाई माह मे बारिश होने पर सायल ने अपने खेतो में जुताई करने के बाद दिनांक 25.07.2021 को फसल बुवाई का कार्य शुरु किया उसी दौरान गैरसायलान हाथो में लाठी लकड़ी लेकर वादग्रस्त भूमि में बतौर अतिक्रमी के आकर सायल के आड़े फिर गये तथा सायल की उक्त खसरा संख्या की माट को खुर्द बुर्द करने लगे एवं टंटा फसाद करने लगे एवं ऐलानिया कथन किया कि वह सायल की खातेदारी की भूमि से सायल को बेदखल करते हुए सायल की भूमि पर कब्जा कर लेंगे। सायल की खातेदारी भूमि में आने जाने व आवागमन हेतू तरमीम शुदा एवं इन्द्राज शुदा रस्ता खसरा संख्या 480/4 का स्थित है। सायल की खातेदारी भूमि एवं उक्त आवागमन के रास्ते की भूमि के लगते ही खसरा संख्या 1140/480 की भूमि गैरसायलान की आई हुई है। इस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गैरसायलान आये दिन सायल की उक्त भूमि में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने तथा माठ को नष्ट करके सायल की भूमि में अतिक्रमण एवं सायल की भूमि में आने जाने के रेकर्डेड सुदा रास्ते पर की हुई तारबंदी को हटाने पर उतारू एवं आमादा हो रखे है। तथा आये दिन सायल के साथ लड़ाई झगड़ा एवं टंटा फसाद करते रहते है। जबकि सायल एवं गैरसायलान की कृषि भूमियां रेकर्डेड अलग अलग खसरा अनुसार तरमीमशुदा भूमियां है। जिसमें राजस्व रेकर्ड में सायल एवं गैरसायलान अलग अलग सेपरेट खातेदार के रूप में दर्ज है। इस प्रकार सायल की कृषि भूमि एवं कृषि भूमि पर आने जाने का एकमात्र रास्ता रेकर्डेड शुदा होने तथा सायल की भूमि तरमीमशुदा व सेपरेट भूमि होने तथा गैरसायलान का इस भूमि एवं रास्ते से किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नही होने, न ही गैरसायलान को सायल की उक्त भूमि व रास्ते से कोई विधिक या कानूननी हक अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी गैरसायलान सायल की भूमि को हड़पने व रास्ते पर की हुई तारबंदी को नष्ट करने पर आमादा है जो कतई गलत है। यदि गैरसायलान द्वारा सायल की उक्त कृषि भूमि व आने जाने के रास्ते पर अतिक्रमण एवं अतिचार करने एवं रास्ते पर बनी तारबंदी को नष्ट करने में सफल हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। तथा सायल अपने साम्पैतिक व सुखाधिकार से हमेशा हमेशा के लिए महरूम व वंचित हो जायेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी। इसलिए समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के आधार पर सायल का केस प्रथम दृष्ट्या बखुबी प्रमाणित है जिसमें वादी को सफलता मिलने की पूर्णतया संभावना है। यदि गैरसायलान स्वयं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी कारीगर मजदूर आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी करते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। तथा सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में साबित है। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थीगण जवाब पेश नही करना चाहते है अतः जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

***(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :–*** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त खातेदारी आराजी ग्राम डिगरना के खसरा संख्या 480/2 रकबा 0.8094 हैक्टर स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र के साथ हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का एकमात्र अभिलिखित खातेदार काश्तकार है [illegible] काश्त है। गैरसायलान की भूमि मौके पर अलग से आई हुई है। सायल [illegible] खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू तरमीम शुदा एवं रेकर्डेड शुदा रास्ता खसरा संख्या 480/4 स्थित है जिसके लगते ही खसरा संख्या 1140/480 की भूमि गैरसायलान की आई हुई है। गैरसायलान सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

की माठ को खुर्द बुर्द कर सायल की भूमि में अतिक्रमण कर सायल को बेदखल करते हुए कब्जा करना चाहते है, जिन्हे रोका जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया, प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी ग्राम डिगरना के अनुसार प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का एकमात्र अभिलिखित खातेदार है। जिसमें अप्रार्थीगण का कोई अधिकार निहित नही हो सकता। चूंकि वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है तथा प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी खातेदार के पक्ष में निहित होना साबित होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

***(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति :–*** प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है, साथ ही प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित होता है साथ ही यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अभिलिखित खातेदार होने के कारण अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी खातेदार के वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा दखल कि दशा में अपूर्णीय क्षति प्रार्थी खातेदार को ही होना निश्चित है लिहाजा उपर्युक्त दोनो बिन्दू भली भांति साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी खातेदार के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने तथा खन्दक आदि खुर्द बुर्द करने से रोकने के लिए पाबन्द किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

**–::आदेश::–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद ग्राम डिगरना तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 480/2 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में प्रार्थी खातेदार के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, न ही वादग्रस्त आराजी की खन्दक माठ आदि को कोई नुकसान कारित करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 07/11/2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)